भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आईपीसी, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ अधिनियम 1954

मेन्स के लिये:

भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

केरल में दो महिलाओं की 'कर्मकांडवादी मानव बलि' के तहत नृशंस हत्याओं **ने देश को सदमे में डाल दिया है।**

- इन हत्याओं ने भारत में **अंधविश्वास**, **काला जादू** और **जादू-टोना** की व्यापकता के बारे में एक बहस छेड़ दी है।

अंधविश्वास:

- यह **अज्ञान अथवा भय से संबंधित एक विश्वास है और अलौकिक के प्रति जुनूनी श्रद्धा** इसकी विशेषता है।
- 'Superstition' शब्द **लैटिन शब्द 'सुपरस्टिशियो' से लिया गया है, जो ईश्वर के अत्यधिक भय को इंगित करता है।**
- अंधविश्वास देश, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, जाति या वर्ग-विशिष्ट नहीं होता है,**इसका स्तर व्यापक है और यह दुनिया के हर कोने में पाया जाता है।**

काला जादू:

- काला जादू, जिसे जादू-टोना के रूप में भी जाना जाता है,**दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिये अलौकिक शक्ति का उपयोग** है तथा किसी को **शारीरिक या मानसिक या आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिये दुर्भावनापूर्ण कार्य करना है।**
- **यह कार्य पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो आदि का उपयोग करके किया जा सकता है।**

भारत में अंधविश्वास से होने वाली हत्याएँ कितनी व्यापक हैं?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की रिपोर्ट में भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू-टोना बताया गया है।
- जादू टोना के सबसे अधिक मामले **छत्तीसगढ़ (20), उसके बाद मध्य प्रदेश (18) और तेलंगाना (11) में दर्ज किये गए।**
- NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में भारत में जादू टोना के कारण 88 मौतें और 11 लोगों की मौत 'मानव बलि' के कारण हुई।

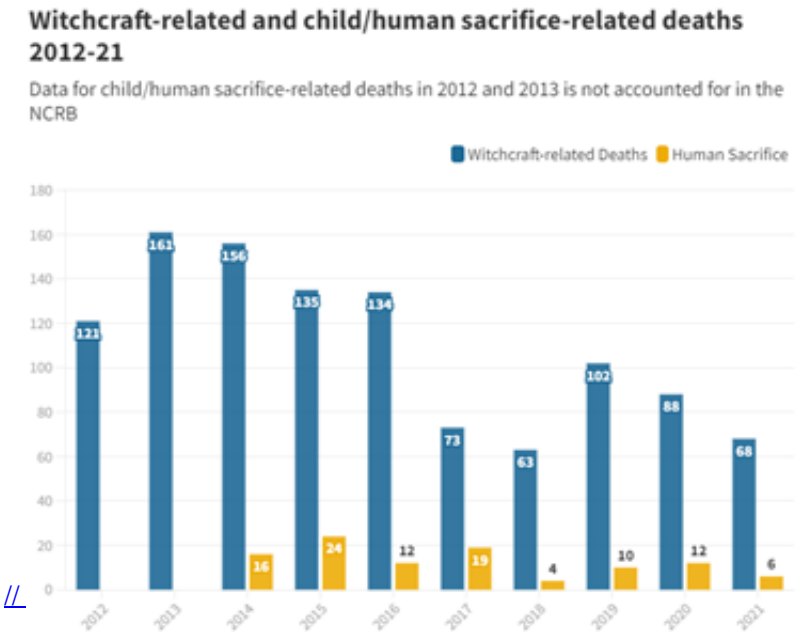

//

भारत में इससे संबंधति कानून:

- भारत में जादू टोना और अंधवशि्वास से संबंधति अपराधों के लयि कोई समर्पति केंद्रीय कानून नहीं है।
- वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन-शकिार नविारण वधियक (Prevention of Witch-Hunting Bill) लाया गया था लेकनि यह पारति नहीं हुआ था।
  - मसौदा प्रावधानों में **कसिी महलिा पर डायन का आरोप लगाने या महलिा के खलिाफ आपराधकि बल का उपयोग करने** या जादू-टोना करने के बहाने यातना देने या अपमान करने के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया।
- [आईपीसी (भारतीय दंड संहति)] की धारा 302 (हत्या की सज़ा) के तहत मानव बलि को शामलि कयिा गया है **(लेकनि हत्या होने के बाद ही)**। इसी तरह धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहति करती है।
- भारतीय **संवधिान का अनुच्छेद 51A (h) भारतीय नागरकिों के लयि वैज्ञानकि सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को वकिसति कर ना** एक मौलकि कर्त्तव्य बनाता है।
- **ड्रग्स एंड मैजकि रेमेडीज़ एक्ट, 1954** के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य **भारत में प्रचलति वभिन्नि अंधवशि्वासी गतविधियिों में कमी लाना है।**

राज्य-वशिषि्ट कानून:

- **बहिार:**
  - **बहिार पहला राज्य था** जसिने जादू-टोना रोकने, एक महलिा को डायन के रूप में चहि्नति करने और अत्याचार, अपमान तथा महलिाओं की हत्या को रोकने **हेतु कानून बनाया था।**
  - द प्रवेंशन ऑफ वचि (डायन) प्रैक्टसि एक्ट अक्तूबर 1999 में प्रभाव में आया।
- **महाराष्ट्र:**
  - वर्ष 2013 में महाराष्ट्र **मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधनियिम पारति** कयिा ताकि राज्य में अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू आदि को प्रतबिंधति कयिा जा सके।
  - इस कानून का एक खंड वशिेष रूप से 'godman' (स्वयं को इश्वर के समकक्ष मानने वाले) द्वारा कयि गए दावों से संबंधति है जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौककि शक्तयिाँ हैं।
- **कर्नाटक:**
  - कर्नाटक ने वर्ष 2017 में अंधवशि्वास वरिोधी कानून को प्रभाव में लाने का कार्य कयिा, जसिे अमानवीय प्रथाओं और काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन **अधनियिम** के रूप में जाना जाता है।
  - यह अधनियिम धार्मकि अनुष्ठानों से जुड़ी "अमानवीय" प्रथाओं का व्यापक रूप से वरिोध करता है।
- **केरल:**
  - केरल में काला जादू और अन्य अंधवशि्वासों से नपिटने के लयि **कोई व्यापक अधनियिम नहीं है।**

देशव्यापी अंधवशि्वास वरिोधी अधनियिम की आवश्यकता:

- इस तरह की प्रथाओं को अबाध रूप से जारी रखने की अनुमति देना भारतीय संवधिान के **अनुच्छेद 14 और 21 के तहत क्रमशः कसिी व्यक्ति की समानता के मौलकि अधकिार और जीवन के अधकिार का उल्लंघन है।**
- इस तरह के कृत्य वभिन्नि अंतर्राष्ट्रीय वधिानों के कई प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं, जनिमें भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, जैसे **'मानवाधकिारों की सार्वभौमकि घोषणा, 1948', 'नागरकि एवं राजनीतकि अधकिारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतबिद्धता, 1966' और "महलिाओं**

के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979।

- भारत के केवल आठ राज्यों में अब तक डायन-शिकार निवारण विधेयक कानून हैं।
    - इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं।
- अंधविश्वासों से निपटने के उपायों के अभाव में अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रथाओं जैसे उपचार के तरीके पर विश्वास, एवं चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी भी बढ़ सकती है, **जो सार्वजनिक व्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।**

आगे की राह

- **यह याद रखना उचित है कि इस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिये कानून लाने का मतलब केवल आधी लड़ाई जीतना होगा।**
- सूचना अभियानों के माध्यम से इस तरह की प्रथाओं से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिये समुदाय/धार्मिक विद्वानों को शामिल करके जनता के बीच जागरूकता बढ़ाकर सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/anti-superstition-laws-in-india